

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

RBE No. 39/2023

PCPO's SI No.48/2023

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/9/2023 Com.No.207408)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय:-Re-engagement of retired state government officials in exigencies of service in projects where land acquisition is involved.

संदर्भ:-Railway Board's letter No.-E(NG)11/2020/RC-4/2(Pt-2), Dated-03.03.2023.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally Signed by Manoj

Ku Choudhary

(मनोज कुमार चौधरी)
Date: 05-06-2023 19:30:11

Reason: Approved

कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर—कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

Send by mail

E-office-1401015

RBE No. 39/2023



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No. E(NG)II/2020/RC-4/2 (Pt.2)

New Delhi, dated: 03.03.2023

The General Manager (P),
All Zonal Railways/PUs,
(As per standard mailing list).

Sub: Re-engagement of retired State Government officials in exigencies of services in projects where land acquisition is involved.

Ref: (i) Board's letter No. E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 dated 28.11.2019 (RBE No. 207/2019)
(ii) Board's letter No. E(NG)II/2020/RC-4/2(Pt.2) dated 22.12.2020(RBE No. 113/2020).

It had been decided vide Board's letter dated 22.12.2020 that no retired employees should be re-engaged after 02.12.2020 except in para medical category.

2. It has now been decided to permit Railways to engage retired State Government officials from forest/revenue departments on contract basis for work related to Survey, updation of land records, coordination with State Government agencies for forest/ wild life clearances in projects where land acquisition is involved.

3. The total number of such engagements may be restricted to 10 in each Zonal Railway. The scheme has been extended for a period of one year beyond 21.02.2023 i.e. upto 21.02.2024. Powers for such engagement shall be exercised by the General Managers only with Finance concurrence.

4. As regards remuneration, allowances and leave, these will be as per OM No. F.No. 3-25/2020-E.IIIA dated 09.12.2020 of Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India which are as under –

- (i) A fixed monthly amount shall be admissible as remuneration during the contract period, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract.
- (ii) No increment, Dearness Allowance and HRA shall be allowed during the term of the contract.
- (iii) An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment. However, they may be allowed TA/DA on official tour, if any, as per their entitlement at the time of retirement.
- (iv) Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service.

5. The re-engaged retired employees shall sign an agreement of confidentiality with the Railway containing a clause on Ethics and Integrity.

Contd/.....2

6. The following conditions stated in Board's letter No. E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 dated 28.11.2019 shall also be observed while re-engaging these retired employees-

- i. Railway should give adequate publicity to such re-engagement, including by putting it on Railway websites.
- ii. While re-engaging such staff, medical fitness of the appropriate category should be obtained from the designated authorities as per existing practices.
- iii. Suitability/competency of the staff should be adjudged before such re-engagement.
- iv. Maximum age limit for such re-engagement shall be 65 years.
- v. The integrity aspect should also be checked while permitting such re-engagement.

7. Clear fund availability should also be ensured for re-engaging these retired employees and the expenditure towards this arrangement may be charged to the same head against which the expenditure was charged in the past when such arrangements were in force prior to issuance of Board's letter dated 22.12.2020.

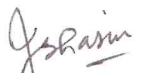

(A. Narayana Rao)
Deputy Director Estt.(NG)II
Railway Board

No. E(NG)II/2020/RC-4/2 (Pt.2)

New Delhi, dated: 03.03.2023

Copy to:

- i. The Principal Financial Advisor, All Indian Railways/PUs.
- ii. The Principal Director of Audit, All Indian Railways/PUs.
- iii. The Dy. Comptroller and Auditor General of India (Rlys) Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.


For Member (Finance)/Railway Board

Copy to: DG/HR, DG/RHS, AM/Staff, EDF (E), DDF(E)I & F(E)II Branch of Railway Board.



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

सं. ई(एनजी)II/2020/आरसी-4/2(पार्ट 2)

नई दिल्ली, दिनांक: 03.03.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां,
(मानक डाक सूची के अनुसार)।

विषय: परियोजनाओं, जिनमें भूमि अधिग्रहण शामिल है, में सेवाओं की अनिवार्यता में राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति करना।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 28.11.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 (आरबीई सं.207/2019)

(ii) बोर्ड का दिनांक 22.12.2020 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2020/आरसी-4/2 (पार्ट.2) (आरबीई सं.113/2020)

बोर्ड के दिनांक 22.12.2020 के पत्र के तहत यह निर्णय लिया गया था कि 02.12.2020 के बाद पैरा मेडिकल श्रेणी को छोड़कर किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुनः नियुक्त नहीं किया जाए।

2. सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों, भूमि अभिलेखों का अद्यतन, उन परियोजनाओं जहां भूमि अधिग्रहण शामिल है, में वन/वन्य जीव मंजूरी के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए अब रेलवे को ठेका आधार पर राज्य सरकार के वन/राजस्व विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

3. प्रत्येक क्षेत्रीय रेल में ऐसी नियुक्तियों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। इस योजना को 21.02.2023 से आगे एक वर्ष अर्थात् 21.02.2024 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। महाप्रबंधकों द्वारा इस तरह की नियुक्ति के लिए शक्तियों का प्रयोग केवल वित्त की सहमति के साथ किया जाएगा।

4. जहां तक पारिश्रमिक, भत्तों और छुट्टियों का संबंध है, ये व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 09.12.2020 के का.ज्ञा. सं. एफ.सं. 3-25/2020-ई.IIIए के अनुसार होंगे, जो निम्नानुसार हैं-

(i) ठेका अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन को घटाकर तय की गई हो। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि ठेका की अवधि में अपरिवर्तित रहेगी।

(ii) ठेका अवधि के दौरान किसी भी वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ते की अनुमति नहीं होगी।

(iii) निवास स्थान और कार्य स्थल के बीच आने-जाने के उद्देश्य से परिवहन भत्ते के रूप में एक उपयुक्त और निश्चित राशि होगी जो नियुक्त किए गए व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, उन्हें सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार आधिकारिक दौरे पर टीए/ डीए, यदि कोई हो, की अनुमति दी जाए।

...2/-

रेल भवन, रायसीना रोड., नई दिल्ली- 110001

नियुक्ति

(iv) सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन की दर से अनुपस्थिति की प्रदत्त छुट्टी की अनुमति दी जाए।

5. पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी रेलवे के साथ गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा संबंधी शर्त होगी।

6. इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करते समय बोर्ड के दिनांक 28.11.2019 के पत्र सं. ई(एनजी) II/2007/आरसी-4/कोर/1 में उल्लिखित शर्तों का भी निम्नानुसार पालन किया जाएगा:-

i. रेलवे द्वारा इस तरह की पुनः नियुक्ति के लिए पर्याप्त प्रचार किया जाए, और इसे रेलवे की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।

ii. ऐसे कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के समय, मौजूदा पद्धति के अनुसार नामित प्राधिकारियों से उपयुक्त श्रेणी का मेडिकल फिटनेस प्राप्त किया जाए।

iii. इस तरह की पुनः नियुक्ति से पहले कर्मचारियों की उपयुक्तता/क्षमता को न्यायनिर्णीत किया जाए।

iv. इस तरह की पुनः नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।

v. इस तरह की पुनः नियुक्ति की अनुमति देते समय सत्यनिष्ठा के पहलू की भी जांच की जाए।

7. इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के लिए स्पष्ट धन उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए और इस व्यवस्था के लिए व्यय उसी शीर्ष में प्रभारित किया जाए जिसके तहत पूर्व में व्यय प्रभृत किया गया था, जब बोर्ड के दिनांक 22.12.2020 के पत्र के जारी होने से पूर्व ऐसी व्यवस्था लागू थी।



(ए. नारायण राव)

उपनिदेशक स्थापना (एनजी)II

रेलवे बोर्ड

सं.ई(एनजी)II/2020/आरसी-4/2(पार्ट 2)

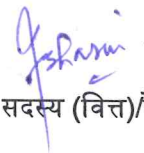
नई दिल्ली, दिनांक: 03.03.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

i. प्रमुख वित्तीय सलाहकार, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

ii. प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

iii. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा नंबर 224, रेल भवन, नई दिल्ली।



कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड